आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

भूमि बिक्री अनुमति वाद सं०–86/2021

सी०एन०टी० एक्ट की धारा–46(1)(B) अंतर्गत
श्री बसु राम वगैरह – विक्रेता
प्रति
श्रीमती दुर्गा देवी – क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) (1) श्री बसु राम, (2) मानदेव राम, (3) भजन राम, पिता स्व० सरदार राम, (4) मसोमात मिना देवी पति स्व० अमृत राम, सभी के ग्राम–झलुआ, पोस्ट–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती दुर्गा देवी, पति श्री कैलाश राम, ग्राम–खुरी कर्मा उर्फ खुरी, पोस्ट–रनपुरा, थाना–चिनियाँ, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46(1)(B) के अन्तर्गत भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इश्तेहार का विधिवत् तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक–40, दिनांक–31.01.2022 के द्वारा प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के बाबा (रामदेनी चमार वगैरह) के नाम से मांग पंजी–II के पृष्ट सं०–63/1 पर मांग चलता है। विक्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही गढ़वा जिला के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते है। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शान्तिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भू–दान, भू–हदबन्दी, वनसीमा इत्यादि से मुक्त हैं।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) (1) श्री बसु राम, (2) मानदेव राम, (3) भजन राम, पिता स्व० सरदार राम, (4) मसोमात मिना देवी पति स्व० अमृत राम, सभी के ग्राम–झलुआ, पोस्ट–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा के द्वारा क्रेता श्रीमती दुर्गा देवी, पति श्री कैलाश राम, ग्राम–खुरी कर्मा उर्फ खुरी, पोस्ट–रनपुरा, थाना–चिनियाँ, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46(1)(B) के अन्तर्गत बिक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
छत्तरपुर	232	72	125	0.09³/₅	उ०–बिरझु राम, द०–नीज विक्रेतागण वो रामशिव राम वगैरह, पु०–नहर पईन, प०–कच्ची रास्ता 10 फीट इजमाल
			कुल रकबा :–	0.09³/₅	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:22:24 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner